

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....^{१२}.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ^{१२} व भू.अ.नि. ^{पीठासीन} की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ^{दांतारामगढ़} / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ^{६ पुरा} प0ह0 ^{१२} तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. सं. | ग्राम / प0ह0 | खाता संख्या / खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|----------|---------------------------|--|--|---|
| 2. | शुक्र - खोपपुरा पु. ए० १२ | खसरा नं० 977 ल 984, 986 ल 988, 991, 993/1224, 995, 996, 1042 ल 1044, 1054, 1055, 1058, 1059, 1153 (1223 लिता 20 कुल खसरा 5-36 ए० | उत्प्रेषण के पत्र का नाम श्री श्री देवी प्रिये गोपाल लाल | उत्प्रेषण के पत्र का नाम श्री श्री देवी प्रिये गोपाल सिंह 4 प करके के आदेश जितने जाते है किसी की नामालग का स्थान हाइड्रु नदी का पत्र को जो कान जाणावकी अपतुल ०६ |

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

(राजेश कुमार शीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 18/10/2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 175
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर